

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/125/2018

अपीलार्थी:-

श्री प्रताप सिंह एडवोकेट,  
कोर्ट कैम्पस बहरोड, जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति०  
जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 27-11-2018

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.10.18 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2018 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएँ दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.11.18 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2343 दिनांक 12.11.18 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र दिनांक 29.08.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलेक्टर, अलवर को पत्रांक 209 दिनांक 02.11.18 के माध्यम से संबंधी बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी ने जबाव के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त प्रा०पत्र दिनांक 12.10.18 के संबंध में प्रार्थी को पत्रांक 458 दिनांक 16.11.2018 से चाही गई सूचना के संबंध में आपकी शिकायत ऑनलाईन सीएम हैल्पलाईन-181 राजस्थान सम्पर्क की वेबसाइट पर अप्रेषित की गई है, आपकी शिकायत के संबंध में वेबसाइट पर जाकर स्वयं जानकारी/सूचना प्राप्त कर सकते हैं अथवा सिटीजन कॉल सेंटर सीएम हैल्पलाईन 181 पर फोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने व उसकी सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का जवाब से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलांत अस्वीकार होने योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

  
(प्रकाश राजपरोहित)  
जिला कलेक्टर  
जिला कलेक्टर अलवर  
अलवर (राज०)